**प्रेस विज्ञप्ति**

**26.05.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) से धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बी के नागराजप्पा, सुश्री आर लीलावती और अन्य आरोपियों की 26.27 करोड़ रुपये (लगभग) (वर्तमान बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये) की विभिन्न अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि केबीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और केबीडीसी की तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुश्री आर लीलवती ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके 750 से अधिक फर्जी लाभार्थियों के बैंक खातों में ऋण/सब्सिडी/वित्तीय सहायता मंजूर करके केबीडीसी से धन का दुरुपयोग किया है, जो उनके द्वारा धोखाधड़ी से खोले गए थे। बाद में, केबीडीसी से मंजूर की गई राशि को विभिन्न संस्थाओं के बैंक खातों में भेज दिया गया, जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज, सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेज, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेज, हरनतिहा क्रिएशंस, बी के नागराजप्पा और अन्य द्वारा नियंत्रित अन्निका एंटरप्राइजेज, जिसका उपयोग संपत्तियों की खरीद, बिचौलियों को भुगतान करने और आगे व्यक्तियों और विभिन्न अन्य संस्थाओं के बैंक खातों में भेजने में किया गया।

केबीडीसी से गबन किया गया पैसा मुख्य रूप से अपनी विलासितापूर्ण जीवनशैली को बनाए रखने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल और चल संपत्तियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले, केबीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और केबीडीसी की तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुश्री आर लीलावती को ईडी ने क्रमशः 05.04.2025 और 12.04.2025 को पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।